भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1715

उत्तर देने की तारीख : 03.08.2026

आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे

1715. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डीः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार के संज्ञान में यह आया है कि कुछ राज्य सरकारें सार्वजनिक-निजी भागीदारी की आड़ में या औद्योगिक विकास के नाम पर अल्पसंख्यक-स्वामित्व वाली संपत्तियों को व्यवस्थित रूप से लक्षित कर रही हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जामिया मस्जिद की भूमि को एपीआईआईसी के माध्यम से अधिग्रहित करने का प्रयास किया जा रहा है; और

(ग) केंद्र सरकार किस प्रकार राज्य सरकारों द्वारा अनुचित/गैरकानूनी अधिग्रहण से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा कर रही है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता एवं विकास (UMEED) अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अनुसार, किसी राज्य में स्थित सभी औकाफ का सामान्य अधीक्षण उस राज्य के लिए स्थापित वक्फ बोर्ड अथवा उसी राज्य द्वारा किया जाएगा तथा वक्फ बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करे कि उसके अधीक्षण के अधीन आने वाले औकाफ का अनुरक्षण, नियंत्रण एवं अभिशासन उपयुक्त रूप से हो।

आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु गुंटूर स्थित जामिया मस्जिद की वक्फ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस विषय पर आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अपने वक्फ बोर्ड से परामर्श करके निर्णय लिया जाना है।

*****